फॉर्म – ब

[देखिये नियम 9(3), (4) और (6)]

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : एफ. 12(482)(1)राज / 2015 / 6575 दिनांक : 08.09.16

–: संपरिवर्तन आदेश :–

प्रार्थी श्री स्वरूपसिंह भायल पुत्र श्री करणसिंह भायल जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर बाड़मेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरितर्वन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण बाबत निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि को वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है–

1.	आवेदक खातेदारान अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता	श्री स्वरूपसिंह भायल पुत्र श्री करणसिंह भायल जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर बाड़मेर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
	(क) ग्राम /ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम	ग्राम – महाबार पीथल, तहसील बाड़मेर
	(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर मे)	खसरा नम्बर 2466 / 699 रकबा 02.00 बीघा में से रकबा 2535.54 वर्गमीटर किस्म बारानी दोयम
	(ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्ग मीटर मे)	खसरा नम्बर 2466 / 699 रकबा 02.00 बीघा में से रकबा 2535.54 वर्गमीटर किस्म बारानी दोयम
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ**
5.	संदेय प्रिमियम की दर	नियमानुसार डी.एल.सी. दर का 10%
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	285/01.01.2016 = 25400/- 601/03.02.2016 = 39460/-
7.	चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों	नहीं

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

(i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(iii) नियम – 4 मे यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

(iv) वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसीं अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(v) पेट्रोल पम्प का निर्माण राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सड़क सीमा के पश्चात किया जाएगा, भविष्य मे सड़क की चौड़ाई बढाये जाने के दौरान यदि सड़क सीमा मे कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवदेक को अपने खर्चे से हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआंवजा हेतु कोई क्लेम नही किया जावेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

(vii) ब्ल्यू प्रिन्ट संपरिवर्तन आदेश के अभिन्न अंग है।

(viii) सड़क सीमा में आ रही भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सपर्मण करने के बाद ही संपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जायेगा।

(ix) उपर्युक्त सभी शर्तो की पालना आवेदक द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा मे नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेवार होगा।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कमांक : एफ. 12(482)(1)राज/2015/ 6576-81

दिनांक : 08.09.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर।
2. तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा सड़क सीमा में आ रही भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने के बाद ही संपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. उप पंजीयक बाड़मेर
4. पटवारी महाबार, तहसील बाड़मेर।
5. आवेदक श्री स्वरूपसिंह भायल पुत्र श्री करणसिंह भायल जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर बाड़मेर (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail